भारतसरकार खानमंत्रालय भारतीय खानब्यूरो क्षेत्रीय खाननियंत्रक काकार्यालय माखुपुराओद्योगिक क्षेत्र अजमेर 305002 ई—मेलः ro.aimer@ibm.gov.in





Mine Code: 34RAJ26004

Violation Letter (By speed post)

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer- 305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax-2695202

दिनांक: 18/12/2019

संख्या : RAJ/UDP/PB-Zn-03/Vol-IV

To: Sri Vijay Prakash Joshi, Zawarmala Pb-Zn Mine, M/s Hindustan Zinc Limited, Village: Zawar, District: Udaipur

Rajasthan-313901

(e-mail: vijayprakash.joshi@vedanta.co.in)

Sub: Violation of provision of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Zawarmala Pb-Zn Mine in Udaipur District of Rajasthan State.

महोदय.

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found to violated in your above said mine during inspection on 07/11/2019 by the undersigned accompanied by Shri Shri Rahul Bose, Mine Manger and Sri Ashutosh Pathak, Geologist of your Mine.

Rule	Details of violations
45(7)	On examination of annual return for the year 2018-19 following discrepancies have been
15(7)	observed. (i) Part V, Section 4.1: During inspection it is reported that 02 BH have been drilled from the surface during the year 2018-19. However, these 02 BH has not been reported in the annual return of the year 2018-19. (ii) Part-VII: Cost of exploration, amount paid towards DMF and NMET has not been considered for estimation of cost of production.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

- (क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
- (ख) आपके विरूध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) राज्य सरकारा को खनन पट्टे की समित की सिफारिश ।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

> (दिलीप जैन) वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :--

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई मेल द्वारा)
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, Udaipur (Raj.).
- 4 रक्षित पत्रावली।

(दिलीप जैन) वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी भारतीय खान ब्यूरो